

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हेतु
आवेदन प्रारूप

दिनांक.....

प्रति

1. आयुक्त,
नगर निगम.....
जिला.....म.प्र.।
या
2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका/नगर परिषद.....
जिला.....म.प्र.।
या
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत,
जिलाम.प्र.।

आवेदिका (वधु)
का नवीन
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

आवेदिका के
वर का नवीन
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

विषय:- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (संशोधित योजना 2022) अंतर्गत सहायता प्रदाय
करने बाबत।

भाग-1 : आवेदिका (वधु) की जानकारी

1. वधु की 9 अंको की समग्र आईडी क्रमांक

--	--	--	--	--	--	--	--

(वधु की समग्र आईडी यदि नहीं हो तो संबंधित निकाय द्वारा समग्र आईडी उपलब्ध कराई जायेगी।)
2. वधु का 12 अंकों का आधार नम्बर

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. वधु का नाम.....
4. वधु की माता का नाम.....
5. वधु के पिता/अभिभावक का नाम.....
6. जाति वर्ग.....

एससी	एसटी	ओबीसी	सामान्य
------	------	-------	---------
7. वधु की जन्म तिथि

--	--

--	--

--	--	--

 आयु.....वर्ष
(विवाह के दिनांक को वधु की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होना अनिवार्य है)

8. वधु/अभिभावक का मोबाईल नम्बर
 अन्य मोबाईल नम्बर
 [] [] [] [] [] [] [] []
9. वधु का वर्तमान निवास स्थान व पूर्ण पता.....
 ग्राम/वार्ड.....ग्राम पंचायत/नगर.....
10. निकाय.....जिला.....राज्य.....
 वधु/वधु के अभिभावक का मूल निवास स्थान व पूर्ण पता.....
 ग्राम/वार्ड.....ग्राम पंचायत/नगर.....
11. निकाय.....जिला.....राज्य.....
 क्या वधु श्रम विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक परिवार की सदस्य है ? हाँ/नहीं.....
 यदि हाँ, तो श्रमिक कार्डधारी का नाम.....
 कार्ड क्रमांक
 कार्ड जारी दिनांक.....
 कार्ड वैधता दिनांक.....
 आवेदन प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय कन्या हेतु किया गया है यहाँ स्पष्ट करें
12. क्या वधु दिव्यांग है ? हाँ/नहीं.....
 यदि हाँ, तो दिव्यांगता का प्रकार
 प्रतिशत.....तथा
 यू.डी.आई.डी. कार्ड का नम्बर
13. कल्याणी (विधवा)/परित्यक्ता होने की स्थिति में
 पूर्व पति का नामएवं
 पूर्व विवाह होने की दिनांक
14. परित्यक्ता होने की स्थिति में
 विवाह विच्छेद होने की दिनांक
 (न्यायालयीन आदेश के दिनांक को यहाँ भरा जाये)
15. कल्याणी (विधवा) होने की स्थिति में
 स्व. पति के मृत्यु प्रमाण पत्र का पंजीयन क्रमांक.....
 पंजीयन दिनांक.....

भाग - 2
॥ वधु का स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र ॥

मैं.....पिता.....
निवासी.....ग्राम/वार्ड.....
ग्राम पंचायत/नगर.....निकाय.....
जिला.....राज्य.....
सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करती हूँ, कि -

1. मेरा इससे पहले कभी विवाह नहीं हुआ,

अथवा

2. मेरा पूर्व में विवाह हुआ किन्तु मेरे पति की मृत्यु हो गई है,

अथवा

3. मेरा पूर्व में विवाह हुआ किन्तु मेरा पति से कानूनी तलाक हो चुका है,

मैं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता योजना प्राप्त करने हेतु पात्र हूँ। ऊपर बताई गई जानकारी व आवेदन पत्र में उल्लेखित जानकारी सही है। यदि जानकारी असत्य पाई जाती है तो मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य छिपाकर सहायता राशि/उपहार सामग्री प्राप्त कर ली गई है तो मुझसे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत प्रदाय सहायता राशि/उपहार सामग्री जिला प्रशासन द्वारा वसूल की जा सकती है। मैं विवाह अपनी सहमति से कर रही हूँ साथ ही आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज का उपयोग विभागीय योजनाओं में करने पर सहमत हूँ।

दिनांक.....

स्थान.....

आवेदिका (वधु) के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

भाग-3

:: वर की जानकारी ::

1. वर की 9 अंको की समग्र आईडी क्रमांक
(वर मध्यप्रदेश का निवासी नहीं होने की स्थिति में अनिवार्य नहीं)
2. वर का 12 अंकों का आधार नम्बर
3. वर का नाम.....
4. वर की माता का नाम.....
5. वर के पिता/अभिभावक का नाम.....
6. जाति वर्ग.....

एससी	एसटी	ओबीसी	सामान्य
------	------	-------	---------
7. वर की जन्म तिथि आयु..... वर्ष
(विवाह के दिनांक को वर की आयु व्यूनतम 2 1 वर्ष होना अनिवार्य है)
8. वर/अभिभावक का मोबाइल नम्बर
अन्य मोबाइल नम्बर
9. वर का पूर्ण पता.....
ग्राम/वार्ड..... ग्राम पंचायत/नगर.....
निकाय..... जिला..... राज्य.....
10. क्या वर दिव्यांग है ? हाँ/नहीं.....
यदि हाँ, तो दिव्यांगता का प्रकार
प्रतिशत..... तथा
यू.डी.आई.डी. कार्ड का नम्बर

वर के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

भाग- 4
:: वर का स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र ::

मैं.....पिता.....
निवासी.....ग्राम/वार्ड.....
ग्राम पंचायत/नगर.....निकाय.....
जिला.....राज्य.....

सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करती हूँ, कि -

1. मेरा इससे पहले कभी विवाह नहीं हुआ,

अथवा

2. मेरा पूर्व में विवाह हुआ किन्तु पत्नि की मृत्यु हो गई है,

अथवा

3. मेरा पूर्व में विवाह हुआ किन्तु पत्नि से कानूनी तलाक हो चुका है,

ऊपर बताई गई जानकारी व आवेदन पत्र में उल्लेखित जानकारी सही है। यदि जानकारी असत्य पाई जाती है तो मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। मैं यह विवाह अपनी सहमति से कर रहा हूँ साथ ही आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज का उपयोग विभागीय योजनाओं में करने पर सहमत हूँ।

दिनांक.....

स्थान.....

वर के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

भाग- 5
:: विवाह की जानकारी ::

1. आवेदन का दिनांक
2. विवाह दिनांक विवाह स्थान
3. निकाय का नामजिला म.प्र.।

संलग्न दस्तावेज का विवरण -

1. वधु/वधु के अभिभावक का मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र।
2. वधु व उसके वर के समग्र परिवार आईडी कार्ड की छायाप्रति (वर मध्यप्रदेश का निवासी नहीं होने की स्थिति में अनिवार्य नहीं)।
3. वधु व वर का आधार कार्ड की छायाप्रति।
4. वधु व वर का आयु प्रमाण पत्र। आयु की पुष्टि हेतु वधु व वर का निम्न में से कोई एक

दस्तावेज -

1	स्कूल का प्रमाण पत्र (टी.सी.)	2	अंकसूची जिसमें जन्मतिथि अंकित हो
3	सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र	4	मतदाता सूची/मतदान परिचय पत्र जिसमें आयु अथवा जन्मतिथि अंकित हों
5	शासकीय चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा आयु हेतु जारी प्रमाण पत्र	6	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का जॉब कार्ड
7	अन्य दस्तावेज जो आयु सिद्ध करने हेतु कानूनी रूप से स्वीकार्य हो		

5. वधु व वर के पासपोर्ट साईज के दो-दो फोटोग्राफ।
6. वधु व वर का मोबाइल नम्बर।
7. कल्याणी (विधवा) होने की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
8. परित्यक्त महिला होने की स्थिति में कानूनी रूप से तलाक होने का न्यायालयीन आदेश की प्रतिलिपि।
9. यदि आवेदक मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक हैं तो श्रमिक पंजीयन कार्ड की छायाप्रति।

दिनांक.....

स्थान.....